



भारतीय गैर न्यायिक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

X 879727

"प्रारूप 26
(नियम 4क देखिए)



NOTARIAL




20 - राजगढ़ (मध्यप्रदेश) निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं, नारायणसिंह **पुत्र/पुत्री/सत्नी श्री माधूसिंह आयु 62 वर्ष, जो ग्राम आमलाबे पोस्ट कोडक्या तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. पिन 465-693 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

निरन्तर.....2



(1) मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / ~~**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम खिलचीपुर 163, मध्यप्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) भाग संख्या 61 पर सरल क्रमांक 113 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 09013180274 है/हैं और मेरा ई-मेल आई.डी.(यदि कोई हो तो) singhamlabe1@gmail.com है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रस्थिति :-


क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपयें में)
1	स्वयं	ASMPA3441R	वर्ष 2012-13	6.00 लाख
2	पति या पत्नि	नहीं है	शून्य	शून्य
3	आश्रित-1	आश्रित नहीं है	शून्य	शून्य
4	आश्रित-2	आश्रित नहीं है	शून्य	शून्य
5	आश्रित-3	आश्रित नहीं है	शून्य	शून्य


(5) मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है, किए गए है। लागू नहीं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

निरन्तर-3

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	1. प्रकरण क्रमांक 722/10 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/09 पुलिस थाना छापीहेडा जिला राजगढ (म.प्र.) 2. प्रकरण क्रमांक 244/10 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/09 पुलिस थाना छापीहेडा जिला राजगढ (म.प्र.) 3. प्रकरण क्रमांक 723/10 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 190/09 पुलिस थाना सांरगपुर जिला राजगढ (म.प्र.)
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की (धारा / धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1. धारा 125 कोलाहल अधिनियम धारा 153 (1) (2) भारतीय दण्ड विधान धारा 188 भारतीय दण्ड विधान। दिनांक 10.04.09 को लोकसभा चुनाव के समय ग्राम देवलीमान थाना छापीहेडा में बिना अनुमति के माईक लगाकर सभा की तथा पार्टी के प्रचार के लिए सभा कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास किया तथा बिना अनुमति सभा कर लोक स्थल का उपयोग कर निर्वाचन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया ऐसा अपराध बतलाकर आरोप लगाया गया है। 2. धारा 125 कोलाहल अधिनियम धारा 153 (1) (2) भारतीय दण्ड विधान धारा 188 भारतीय दण्ड विधान। दिनांक 10.04.09 को लोकसभा चुनाव के समय ग्राम साबरस्या थाना छापीहेडा में रामदेवजी महाराज के स्थान पर माईक लगाकर भाषण देकर कोलाहल फैलाकर ध्वनि प्रदूषण किया तथा पार्टी का प्रचार कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास किया तथा निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति के सभा कर व मंदिर का उपयोग किया ऐसा अपराध बतलाकर आरोप लगाया गया है। 3. धारा 125 कोलाहल अधिनियम धारा 153 (1) (2) भारतीय दण्ड विधान धारा 188 भारतीय दण्ड विधान। दिनांक 10.04.09 को लोकसभा चुनाव के समय ग्राम तलेनी थाना सांरगपुर में धार्मिक स्थान पर माईक लगाकर सभा की ध्वनि प्रदूषण फैलाया तथा पार्टी विशेष का प्रचार कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास किया तथा निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति के धार्मिक स्थान का उपयोग किया ऐसा अपराध बतलाकर आरोप लगाया गया है।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्ड अधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी सांरगपुर प्रकरण क्रमांक 722/10 संज्ञान दिनांक 30.07.2010 प्रकरण क्रमांक 244/10 संज्ञान दिनांक 5.2.2010 प्रकरण क्रमांक 723/10 संज्ञान दिनांक 30.7.2010
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई।	न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी सांरगपुर द्वारा उपरोक्त तीनों प्रकरणों में आरोप की विरचना की गई।
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	प्रकरण क्रमांक 722/10 दिनांक 24.09.2010 को आरोप की विरचना की गई। प्रकरण क्रमांक 244/10 दिनांक 10.05.2010 को आरोप की विरचना की गई। प्रकरण क्रमांक 723/10 दिनांक 24.09.2010 को आरोप की विरचना की गई।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / है।	नहीं 



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i)में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सांरगपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 813/09 में संज्ञान दिनांक 24.07.2009 को लिया गया है।
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	धारा 188 भा.द.वि. दिनांक 14.04.2009 को कस्बा पचौर में आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन कर चुनाव प्रचार किया एवं जुलूस निकाला।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	कोई पुनरीक्षण अपील आवेदन नहीं है।

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ~~ढहराया गया है/नहीं~~ ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश ~~दिया गया है/नहीं~~ दिया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखे)।	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथिति।	लागू नहीं होता

(7) मैं, मेरे, मेरे पिता या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2-जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5-रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने है।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	6,50,000/- रूपयें	2,40,000/- रूपयें	आश्रित नहीं है।	आश्रित नहीं है।	आश्रित नहीं है।
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा के रकम।	1. बैंक ऑफ इंडिया शाखा माचलपुर बचत खाता कमांक 996110100005227 दिनांक 01.02.2014 को शेष राशि रु. 1576/- 2. स्टैट बैंक ऑफ इंडिया शाखा संसद भवन, नई दिल्ली बचत खाता कमांक 30810545269 दिनांक 18.03.2014 को शेष राशि 71028.64 रूपयें 3. बैंक ऑफ इंडिया शाखा जीरापुर बचत खाता कमांक 995110100007211 दिनांक 13.02.2014 को शेष राशि 1037.15 रु. 4. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा राजगढ़ खाता कमांक 45290100002965 दिनांक 18.03.2014 को शेष राशि रूपयें 1000/-	1. बैंक ऑफ इंडिया शाखा माचलपुर बचत खाता कमांक 996110100005049 दिनांक 01.02.2014 को शेष राशि रूपयें 1609/- 2. स्टैट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जीरापुर बचत खाता कमांक 63004677672 दिनांक 31.12.2013 को शेष राशि रूपयें 882/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	एल.आई.सी. पालिसी कमांक 354145501 राशि रूपयें 3,77,920/-	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)।	1. स्कार्पियो कार मॉडल 2012 कमांक एम.पी.-04 CJ -5039 वर्ष 2012 राशि 12,40,000/- रूपयें 2. बोलेरो मॉडल 2010 एम.पी. - 39 सी. 0680 वर्ष 2010 राशि 7,80,000/- रूपयें	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यदान वस्तु (वस्तुएं) व भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	1. सोने के गहने 11.50 तौला कीमत 3.45 लाख रूपयें मात्र 2. चॉंदी के गहने 3.50 किलो कीमत 1.60 लाख रूपयें मात्र	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हित का मूल्य	1. 12 बोर बन्दूक कीमत 20,000 रूपयें 2. मवेशी - देशी गायें 5 कीमत 10,000/- रु. भैंसे 3 कीमत 90,000/- रु. 3. डीजल पम्प -2 नग कीमत 36,000/- 4. विद्युत मोटर पंप 2 नग कीमत 16,000/- 5. सबमर्सिबल पंप 2 नग कीमत 70,000/- रूपयें	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	समग्र कुल मूल्य	33,64,561/- रूपयें	7,47,491/- रूपयें			

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्त्वया वर्णन किया जाना चाहिए।

निरन्तर....7

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1 आश्रित नहीं है	आश्रित -2 आश्रित नहीं है	आश्रित -3 आश्रित नहीं है
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों)। सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	ग्राम अमलाबे प.ह.न. 20 कुल सर्वे नं. 11	ग्राम अमलाबे प.ह.न. 20 कुल सर्वे नं. 06	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	15.72 एकड़	5.18 एकड़	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)।	हाँ	हाँ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	स्वअर्जित नहीं है।	स्वअर्जित नहीं है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	सिंचाई हेतु पाईप एवं ट्यूबवेलखनन	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रूपयें 21.60 लाख	रूपयें 07.20 लाख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियों)। सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता





(iii)	वाणिज्यिक भवन: (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों)।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हो या नहीं)।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य				
(iv)	आवासीय भवन: (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	1. ग्राम अमलाबे में स्थित 2 मंजिला पैतृक मकान 2. ग्राम अमलाबे में स्थित 2 मंजिला 2 मकान 3. जीरापुर नगर में माचलपुर रोड़ पर नवीन मकान तथा शेष भूखण्ड	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1. 1899.54 वर्ग फीट 2. 650.00 वर्ग फीट 3. 5415.50 वर्ग फीट	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1. 1899.54 वर्ग फीट 2. 650.00 वर्ग फीट 3. 1848.00 वर्ग फीट	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)।	1. हाँ 2. हाँ 3. नहीं	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।	1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. क्रयदिनांक 5/12/11	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. क्रय के समय लागत राशि (अ) 14.40 लाख रुपये (ब) 4.46 लाख रुपये	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।	1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. भवननिर्माण	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1. 15.00 लाख रुपये 2. 7.50 लाख रुपये 3. 39.00 लाख रुपये	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या. भोपाल रचना टावर्स में प्रकोष्ठ भवन हेतु पंजीयन राशि रुपये 3.50 लाख रुपये	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का चालू बाजार मूल्य।	86.60 लाख रुपये	07.20 लाख रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

निरन्तर....10

०५२

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्याष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1 आश्रित नहीं है	आश्रित -2 आश्रित नहीं है	आश्रित -3 आश्रित नहीं है
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	1. एसबीआई संसद भवन नई दिल्ली से I. वाहन ऋण राशि रूपयें 2,23,302/- II. गृह ऋण राशि रूपयें 9,65,056/- दिनांक 18.03.2014 2. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जीरापुर से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण राशि रूपयें 3,15,678/- 4. प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति आमलाबे ऋण राशि रूपयें 64,627 मात्र	1. एसबीआई शाखा जीरापुर से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण राशि रूपयें 88,708/ 2. प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति आमलाबे ऋण राशि रूपयें 51,726 मात्र	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्वों का कुल योग	15,68,663/- रूपयें	1,40,434 रूपयें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1 आश्रित नहीं है	आश्रित - 2 आश्रित नहीं है	आश्रित - 3 आश्रित नहीं है
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं - कृषि एवं संसद सदस्य वेतन

(ख) पति या पत्नी - कृषि

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

1. हायर सैकेण्ड्री, गर्वमेन्ट हायर सैकेण्ड्री स्कूल माचलपुर जिला राजगढ़ (म.प्र.) (बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एज्युकेशन म.प्र. भोपाल) वर्ष 1970

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)।

५५

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / डॉ. नारायणसिंह		
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम अमलाबे पोस्ट कोड़क्या तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. पिन 465-693		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	20 राजगढ़, मध्यप्रदेश		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसमें अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	इंडियन नेशनल कांग्रेस		
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	03 (तीन)		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न।	01 (एक)		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए।	0 (शून्य)		
7.		का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	ASMPA3441R	वर्ष 2012-13,	6.00 लाख
	(ख) पति या पत्नी	पेन कार्ड नहीं है।	आयकरी विवरणी फाइल नहीं की गई।	लागू नहीं होता
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8. आस्तियां और दायित्वां के ब्यार (रूपय में)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1 आश्रित नहीं है	आश्रित -2 आश्रित नहीं है	आश्रित -3 आश्रित नहीं है
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	33,64,561 / - रूपयें	7,47,491 / - रूपयें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ख	स्थावर आस्तियां	86,60,000 / - रूपयें	7,20,000 / - रूपयें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की कय कीमत	18,86,000 / - रूपयें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
II	कय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	13,74,000 / - रूपयें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
 की	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुलमूल्य)	39,00,000 / -रूपयें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ख) विरासती आस्तियां (कुलमूल्य)	47,60,000 / -रूपयें				
9.	दायित्व					
I	सरकारी शोधय(कुल)	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	15,68,663 / - रूपयें	1,40,434 / - रूपयें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित -1 आश्रित नहीं है	आश्रित - 2 आश्रित नहीं है	आश्रित - 3 आश्रित नहीं है
10	ऐसे दायित्व जो विवादधीन है	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
I	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	हायर सैकेण्ड्री, गर्वमेन्ट हायर सैकेण्ड्री स्कूल माचलपुर जिला राजगढ़ (म.प्र.) (बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एज्युकेशन म.प्र. भोपाल) वर्ष 1970				
	प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)					


सत्यापन


मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले में भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की दर 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 22/3/14 को सत्यापित किया गया।


अभिसाक्षी



[Handwritten signature]

The execution of this Document has / have been Identified by Shri / Smt

श्री श्री जगत लाल शर्मा जी जगत लाल

प्रा. क्र. २१००१८

[Handwritten signature]

22-3-14

By Shri/Smt नारायण सिंह

मालूम है
Tensil जीरापुर Distt राजगढ़
who has been identified by Shri/Smt

श्री श्री जगत लाल शर्मा जी जगत लाल
personally known to me whose signature
(S) is/are here to appended Serial No

555-14

[Handwritten signature]
H.P. Shrivastava
Advocate/Notary
Rajgarh. (Biaora) M.P.